न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 21/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा.दी.

सरकार वन विभाग जरिए क्षेत्रिय वन अधिकारी, माण्डलगढ, जिला भीलवाडा

–प्रार्थी /अपीलार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पिता देबीलाल नाई, निवासी नीम का खेडा, तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाडा

– विपक्षीगण

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 14(4)
राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा0दी0

उपस्थित –
1. श्री राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी
2. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

आदेश

दिनांक 21.02.2024

प्रकरण में विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का आवेदन पत्र क्षेत्रिय वन अधिकारी, माण्डलगढ द्वारा विपक्षी आवंटी के विरूद्ध पेश किया गया था, जिसका निर्णय दिनांक 04–07–2002 को एकपक्षीय पारित फरमाते हुए ग्राम दौलजी का खेडा की आराजी नम्बर 327 रकबा 5 बीघा के आवंटन को अपास्त किए जाने का आदेश न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित किया गया। उक्त आदेश एकपक्षीय पारित हुआ है एवं दिनांक 28–02–2002 को प्रार्थी मांगीलाल की अनुपस्थिति उक्त प्रकरण में दर्ज की गई तथा दिनांक 04–07–2002 को आदेश पारित किया गया कि विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है, जबकि न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा दिनांक 28–02–2002 की पेशी के नोटिस विपक्षी को जारी किए गए, जिसकी समुचित तामिल विपक्षी को नहीं करायी गयी। इस प्रकार पेशी दिनांक 28–02–2002 की कोई जानकारी विपक्षी को नहीं हो सकी थी। न्यायालय द्वारा जारी किया गया सूचनापत्र तामिल हेतु तहसीलदार, माण्डलगढ को भिजवाया गया एवं तामिल कुनिन्दा ने बिना समुचित प्रयास किए विपक्षी को व्यक्तिगत तामिल नहीं कराकर उक्त

न्यायोचित हैं। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 04–07–2002 को निरस्त फरमाते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही विपक्षी के मुकाबले करायी जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत अदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा.दी. में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा दिनांक 04–07–2002 को एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए ग्राम दौलजी का खेडा की आराजी नम्बर 327 रकबा 5 बीघा के आवंटन को अपास्त किए जाने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय द्वारा विपक्षी को जारी किया गया सूचनापत्र तामिल हेतु तहसीलदार, माण्डलगढ को भिजवाया गया एवं तामिल कुनिन्दा ने बिना समुचित प्रयास किए विपक्षी को व्यक्तिगत तामिल नहीं कराकर उक्त नोटिस बाद तामिल रिपोर्ट के साथ न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया, जिसमें तामिल विपक्षी मांगीलाल के पुत्र द्वारा करायी जाने का अंकन किया, किन्तु मूलचंद के हस्ताक्षर करवाकर काट दिए गए थे एवं तामिल रिपोर्ट के साथ कोई मौतबीर व्यक्ति का सत्यापन भी नहीं है। प्रार्थी विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हो सका है। चूंकि विपक्षी आज तक भी उक्त आराजी पर लगातार काबिज चला आ रहा है। इस कारण निर्णय की पालना में केवल रेकार्ड परिवर्तन कर दिए जाने की कोई जानकारी दिनांक 25–07–2018 तक विपक्षी को नहीं हो सकी। विपक्षी को आवंटित आराजी का वन विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। वक्त आवंटन यह आराजी नम्बर 532/327 बिलानाम सरकार थी, जो नियमानुसार आवंटन की गयी है और निर्णय की पालना में पुनः बिलानाम काबिल काश्त दर्ज की गई है। इस प्रकार वन विभाग के नाम आज भी दर्ज नहीं हुई है और विपक्षी का कब्जा उक्त आराजी पर कोट लगाकर किया हुआ है। न्यायहित में एकपक्षीय आदेश दिनांक 04–07–2002 को निरस्त फरमाकर सम्पूर्ण कार्यवाही विपक्षी के मुकाबले जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए की जाना न्यायोचित हैं। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 04–07–2002 को निरस्त फरमाते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही विपक्षी के मुकाबले करायी जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी को सम्मन तामील हेतु प्रेषित किये गये थे, जिसमें विपक्षी के पुत्र द्वारा सम्मन तामील प्राप्त किये गये जो सीपीसी नियमानुसार विधिक रूप से सही तामील मानी जाती है।

विपक्षी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि विपक्षी का पुत्र तत्समय नाबालिग था। इसलिए तामील प्रोपर नही मानी जा सकती हैं। किन्तु विपक्षी अधिवक्ता ने विपक्षी के पुत्र नाबालिग होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण स्वरूप पेश नही किये। माननीय न्यायालय का उक्त प्रकरण वर्ष 2002 में निर्णितशुदा था, जबकि विपक्षी अधिवक्ता ने 16 वर्ष पश्चात् बिना किसी ठोस कारण के उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो बेरून मियाद होकर खारिज योग्य ठहरता हैं। विपक्षी को कोई एतराज था, तो विपक्षी को उक्त निर्णय के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी। निवेदन हैं कि उक्त सभी तथ्यों के मध्येनजर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा.दी. सारहीन होने से खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 34/2002 आ.नि. में दिनांक 04.07.2002 को निर्णय पारित करने से पूर्व समस्त दस्तावेजात का परीक्षण उपरांत गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। पूर्व पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि पूर्व प्रकरण में विपक्षी के सम्मन विधिवत तामील हुये है। विपक्षी को सुनवाई के कई अवसर दिये गये, बावजूद इसके विपक्षी के बार बार अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। विपक्षी ने उक्त प्रकरण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 लगभग 16 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया जिसके लिए कोई ठोस कारण व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये। एवं न ही इतने लम्बे समय को कण्डोन करने हेतु दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विपक्षी ने पूर्व प्रकरण की कोई अपील भी सक्षम न्यायालय में पेश नही की है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा.दी. आधारहीन, सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति क्षैत्रिय वन अधिकारी माण्डलगढ को प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड कार्यालय जिला अभिलेखालय में प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा